**SHODH SAMAGAM**

**ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)**

# ग्रामीण महिलाओं में विवाह के बदलते प्रतिमानः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

**उमा निवास मिश्र,** पीएच–डी, **ऋचा सिंह,** शोध–छात्रा, समाजशास्त्र विभाग
पी.जी. कॉलेज, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

**ORIGINAL ARTICLE**

**Authors**
**उमा निवास मिश्र,** पीएच–डी
**ऋचा सिंह,** शोध–छात्रा
**E-mail :** umaniwasm@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 15/01/2026
Revised on : 19/03/2026
Accepted on : 28/03/2026
Overall Similarity : 00% on 20/03/2026

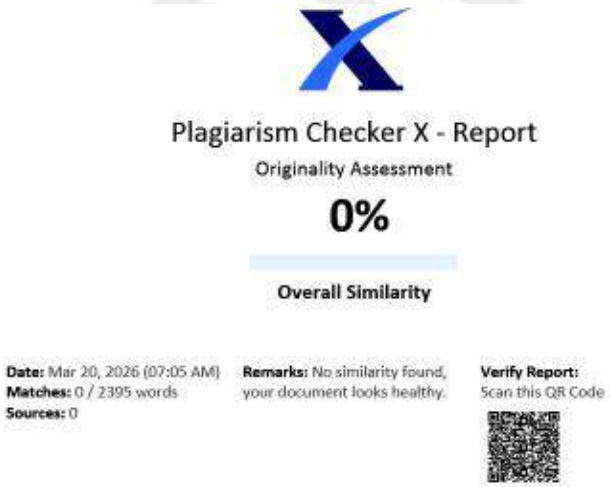


## शोध सार

*विवाह मानव समाज की सर्वाधिक मौलिक सामाजिक संस्थाओं में एक प्रमुख सामाजिक संस्था है। यह समाज में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्राचीन काल से ही प्रमुख स्थान रखता है। विवाह समाज को उन्मुक्त यौन संबंधों की अराजकता से बचाने में अहम भूमिका का निर्वहन करता है। विवाह को जहाँ व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होने की एक विधि के रूप में स्वीकार करता है वही महिला के लिए विवाह तो मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में विज्ञान और तकनीकी के युग में शिक्षा के प्रभाव के कारण विवाह के प्रकृति और प्रतिमानों में परिवर्तन आते जा रहे है। आज कुछ लोग जहाँ विवाह करना आवश्यक ही नही समझते तो कुछ लोग कुछ लोग विवाह को कैरियर में बाधा पहुचाने का कार्य मानते है। अब विवाह को कुछ लोग अनिवार्य ही नहीं समझते है और इस पर अपनी स्वतंत्र राय भी व्यक्त कर रहे हैं। यद्यपि विवाह में धर्म, प्रजा और रति महत्वपूर्ण तत्व के रूप में शामिल होते हैं, परंतु वर्तमान में इन धार्मिक गुणों का महत्व गौण होता जा रहा है, क्योंकि प्राचीन समय जहाँ विवाह का प्राथमिक उद्देश्य धार्मिक दायित्वों निर्वहन करना था वही वर्तमान में साहचर्य महत्वपूर्ण बन गया है। आज विवाह के द्वारा युवा एक ऐसा जीवनसाथी चयनित करना चहता है जो उनके साथ एक मित्र के रूप में रहे। पहले विवाह में बड़े बुजुर्गो की राय तथा माता–पिता के निर्णय को आवश्यक माना जाता था वही वर्तमान समय में जीवन साथी का चुनाव युवक–युवतियाँ स्वयं कर रही है। युवक–युवतियों की चयन पर माता–पिता और परिजन अपनी सहमति/असहमति प्रदान कर रहे है। आज समाज में स्वतंत्रता तथा समानता के कारण विलंब विवाह तथा प्रेम विवाह का प्रचलन बढ़ रहा है। आज युवक और युवतिया अपने विवाह संबंधी निर्णय स्वयं ले रहें हैं, और परिवार द्वारा उनकी राय पर सहमति प्रदान की जा रही है। आज*

*समाज में जाति प्रथा के प्रतिबंध भी ढीले पड़ रहे है, इसी कारण अंतर्जातीय और अंतधार्मिक विवाहों का प्रचलन बढ़ रहा है साथ ही साथ वर्तमान समय में नगरीकरण, औद्योगीकरण, पाश्चात्य संस्कृति, नवीन कानून का प्रभाव, शिक्षा, समानता और स्वतंत्रता के कारण विवाह सम्बन्ध पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। वर्तमान समय में समाज में विवाह विच्छेद की घटनाएँ भी बढ़ती जा रही है जिसका प्रभाव परिवार तथा बच्चों के पालन–पोषण पर भी स्पष्ट रूप से दिखायी दे रहा है। इस शोध पत्र में ग्रामीण महिलाओं में विवाह के बदलते प्रतिमानों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।*

## मुख्य शब्द

*विवाह, प्रतिमान, सामाजिक संस्था, परिवार, अंतर्जातीय विवाह.*

## प्रस्तावना

विवाह संस्कार सभी संस्कारों में महत्वपूर्ण माना जाता है, अतः विवाह का शाब्दिक अर्थ है– 'वर द्वारा वधू को पिता के घर से विशेष रूप से ले जाना'। विवाह शब्द का प्रयोग दो अर्थो में होता है– विवाह संस्कार तथा इस संस्कार से उत्पन्न होने वाला दाम्पत्य सम्बन्ध। इस सम्बन्ध में पति–पत्नि के कुछ अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न हो जाते है। वेस्टरमार्क नामक समाजशास्त्रीय विद्वान ने विवाह के इस अर्थ को ध्यान में रखते हुए वर्णन किया है कि– विवाह एक या अधिक पुरूषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ ऐसा सम्बन्ध है जो प्रथा या कानून द्वारा मान्य होता है और इसमें दोनों पक्ष तथा उनकी संतानों के कुछ अधिकार और कर्तव्य सम्मिलित होते है। समाज में विवाह सुनियोजित और सुव्यवस्थित जीवन का प्रतीक रहा है। धर्म के अनुपालन, याज्ञिक कार्य, संतानोत्पत्ति, गृहस्थ जीवन, पितरों के लिए पिण्ड दान आदि के निमित्त विवाह को आवश्यक माना गया है। मनुष्य विवाह करके एक स्थान पर गृहस्थ रूप में रहने के अनेक कारण है। विवाह की आवश्यकता का केवल एक ही कारण पुत्र प्राप्ति ही नही है इनके अन्य कारण भी है, जैसे– काम तृप्ति करके व्यक्ति अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है क्योंकि धार्मिक ग्रन्थों में अनियंत्रित यौनाचार सदैव ही वर्जित माना गया है। अतः विवाह के द्वारा काम को मर्यादित स्वरूप प्राप्त होता है। मनुष्य स्वभावतः एक सामाजिक प्राणी है, वह अपनी सामाजिकता के कारण ही एकाकी नही रह पाता। धार्मिक एंव सामाजिक दृष्टिकोण से विवाह की एक अन्य आवश्यकता भी है। पूर्ण विवाह करके व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ अपने कर्तव्यों का भली प्रकार से निर्वाह कर पाता है, क्योंकि समाज में अनेक कार्यो के लिए विवाह को आवश्यक माना गय है जैसे– विवाह के द्वारा संतानोत्पत्ति से व्यक्ति पितृ ऋण से उऋण हो सकता है, यज्ञ कार्य में भाग ले सकता है, मानव समाज की निरंतरता को बनाये रख सकता है तथा प्रजनन परिवार की स्थापना कर सकता है, जो अन्य किसी भी संस्था के द्वारा संभव नही है। इसी कारण से पत्नी को अर्धांगिनी, सहधर्मचारी और सहधर्मचारणी नाम दिया गया है। विवाह को जन्म–जन्मान्तर का सम्बन्ध माना गया है। इसे सात जन्मों का बंधन माना गया है लेकिन वर्तमान समय में ग्रामीण महिलाओं में विवाह की प्रकृति और प्रतिमान में बदलाव स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ रहा है।

## साहित्य की समीक्षा

ग्रामीण महिलाओं विवाह के बदलते प्रतिमान पर कई अध्ययन किये गये है। यहाँ ऐसे संदर्भित अध्ययन की समीक्षा की गयी है, जो अध्ययन की दृष्टि से उपयोगी एवं प्रासंगिक है ।

**कपाडिया (1982)** की 'मैरिज एण्ड फैमिली इन इंडिया' नामक पुस्तक भारतीय विवाह एवं परिवार से सम्बन्धित है। इस पुस्तक में आपने परिवार की संरचना, विवाह संस्कार, आश्रम व्यवस्था, विवाह की आयु, हिन्दु विवाह, मुस्लिम विवाह तथा विवाह एवं परिवार के बदलते प्रतिमानों पर अपने अध्ययन को प्रस्तुत किया है।

**कौर व सुखदेव (2013)** ने 'भारतीय समाज में विवाह के बदलते प्रतिमानों' पर किये गये अपने अध्ययन में पाया कि विभिन्न तकनीकी, आर्थिक, शैक्षणिक व कानूनी/विधायी कारकों में परिवर्तन के कारण समाज में विवाह के प्रतिमान भी परिवर्तित हो रहे है। विवाह के प्रतिमानों में होने वाले बदलावों को उन्होनें विवाह के स्वरूप, उद्देश्य वर/वधू

चुनने की प्रकिया, विवाह की उम्र, विवाह की स्थिरता ,विवाह व जाति के सम्बन्धों के आधार पर प्रस्तुत किया है।

**अहलावत (2015)** ने अपने शोध पत्र 'मैरिज नार्म्स पर्सनल च्वाईस एंड सोशल सैक्सन्स इन हरियाणा' में विवाह के प्रतिमानों तथा प्रतिबन्धों पर प्रकाश डाला साथ ही महिलाओं के साथ जोड़े जाने वाली 'इज्जत' की धारणा को रेखांकित किया है, जिसके आधार पर उन्हे स्वयं के लिए जीवन साथी का चुनाव करने की स्वतंत्रता नही दी जाती है। समाज में विवाह स्त्री के लिए उनकी यौनिकता तथा परिवार के सम्मान की सुरक्षा हेतु आवश्यक है तथा पुरूषों के लिए यह उनके प्रजनन क्षमता व मर्दानगी का प्रर्याय माना जाता है, जिसके आधार पर वे अपनी पत्नी व बच्चों पर नियंत्रण रखते है।

## उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में विवाह के बदलते प्रतिमान का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन है।

## शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध पत्र की पद्धति वर्णनात्मक है, जो कि गुणात्मक तथ्यों पर आधारित है। शोध प्रविधि के अन्तर्गत अध्ययन के द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त साहित्य का वैज्ञानिक विधियों से अध्ययन द्वारा वैध एवं विश्वसनीय निष्कर्ष प्राप्त कर अध्ययन विषय की अर्थपूर्ण व्याख्या की गयी है।

## ग्रामीण महिलाओं में विवाह के प्रतिमान

भारतीय समाज विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह की परम्परा सदियों से चली जा रही हैं। पहले विवाह केवल सामाजिक–सांस्कृतिक दायित्व और परम्परा माना जाता था, परन्तु समय के साथ–साथ सामाजिक चेतना, शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, तकनीकी प्रगति ओर सरकारी नीतियों के प्रभाव से ग्रामीण महिलाओं में विवाह संबंधी दृष्टिकोण और प्रतिमानों में परिवर्तन प्रतीत होता है, क्योंकि पहले ग्रामीण समाज में बाल विवाह प्रचलित थे। परन्तु शिक्षा के प्रसार, वाल विवाह निषेध अधिनियम तथा सामाजिक जागरूकता के कारण विवाह की आयु बढ़कर विलंबित विवाह की ओर उन्मुख हो रहा है। ग्रामीण महिलाएं अब कम से कम माध्यमिक या उच्च शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात् विवाह करना चाहती है। इतना ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह परिवार या समाज के लोग विवाह का निर्णय लेते थे परन्तु आज शिक्षित ग्रामीण महिलाएं अपने जीवनसाथी की शिक्षा, नौकरी या व्यवसाय पर ज्यादा ध्यान दे रही है।

उच्च शिक्षा प्राप्त ग्रामीण महिलाएं योग्य जीवनसाथी चुनने में अपने विचार प्रकट कर रही है। पूर्व समयों में ग्रामीण महिलाओं की मुख्य भूमिका घर–परिवार, बच्चे और कृषि कार्यों तक सीमित था, परन्तु अब वे स्वरोजगार, नौकरी, स्वयं सहायता समूहों, मनरेगा और सरकारी योजनाओं से सहायता प्राप्त कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है, जिसका प्रभाव विवाह संबंधी निर्णयों और जीवनसाथी के चयन पर भी पड़ रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक संयुक्त परिवार का स्वरूप अब बदल रहा है तथा वे एकल परिवार की ओर उन्मुख हो रहे हैं। पहले विवाह के बाद महिला संयुक्त परिवार में रहती थी, परन्तु धीरे–धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रवास, रोजगार और शिक्षा के कारण सयुंक्त परिवार का स्वरूप बदल रहा है तथा एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत एवं सामुदायिक बंधनों का शिथिलीकरण हो रहा है।

पहले विवाह जाति, गोत्र और ग्राम की मर्यादा में ही होता था, परन्तु आज शिक्षा और शहरी संपर्क के कारण अंतर्जातीय विवाह का प्रचलण धीरे–धीरे वढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अंतरजातीय विवाह के प्रति दृष्टिकोण में सहिष्णुता आई है, हॉलाकि इसका प्रतिशत अभी बहुत निम्न है।

महिलाओं में कानूनी जागरूकता और अधिकारों के प्रति सजगता आ रही है। यद्यपि सरकारों द्वारा पारित विधानों ने भी भारतीय समाज में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में सराहनीय सहयोग किया है जिसमें विशेष रूप से विशेष विवाह अधिनियम 1954 ने जहाँ जातियों के बीच के भेदभाव को समाप्त करके अन्तजातीय विवाह के द्वार को खोल दिये हैं तथा साथ ही अंतधर्मीय विवाह को भी मान्यता प्रदान कर दिये है। वहीं हिन्दू विवाह अधिनियम

1955 ने एक विवाह को अनिवार्य करते हुए कुछ निश्चित अवस्थाओं में विवाह विच्छेद की आज्ञा भी प्रदान की है जहाँ बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929' विवाह की आयु में परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध हुआ है तो 'दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के पास हो जाने से वर मूल्य प्रथा अर्थात् दहेज कु–प्रथा में परिवर्तित होती जा रही है। ठीक इसी प्रकार 'हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के द्वारा जो अधिकार पुनर्विवाह करने के सम्बन्ध में विधवाओं को मिला है उससे समाज में विधवाओं की स्थिति में परिवर्तन आना अवश्य सम्भावी रहा है जिसके कारण आज वे दहेज निषेध, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और महिला संरक्षण कानूनों ने विवाह की परिभाषा को बदलने का कार्य किया है।

महिलाएं अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है, और अन्याय और शोषण के प्रति आवाज उठा रहे है। प्रेम विवाह और आत्मनिर्णय के अर्न्तगत ग्रामीण समाज में पहले प्रेम विवाह को अस्वीकार कर दिया जाता परन्तु संचार साधनों के चढ़ते प्रयोग और शिक्षा की उच्चता के कारण प्रेम विवाह की स्वीकार्यता भी समाज में बढ़ती जा रही है। हालांकि इसके प्रति सामाजिक विरोध अभी भी है, परन्तु धीरे–धीरे यह प्रतिमान भी परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है।

विवाह का सबसे दूषित पक्ष दहेज प्रथा है, जो पहले विवाह का अभिन्न अंग माना जाता था, परन्तु कानूनी प्रभाव और बढ़ते शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के कारण इसमें कमी प्रतीत हो रही है। हालाँकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह बदस्तूर जारी है। कुल मिला कर कहा जाय तो ग्रामीण महिलाओं में विवाह के प्रतिमान परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन की स्थिति में है। जहाँ एक और शिक्षा, आर्थिक स्वतन्त्रता और कानूनी अधिकारों ने विवाह को केवल सामाजिक दायित्व से निकाल कर साझेदारी और समानता के रिश्ते की ओर मोश है, वही दूसरी ओर कई परंपरागत बंधन और सामाजिक दबाव अब भी विद्यमान है। इस प्रकार कहा जाय तो आज विवाह ग्रामीण महिलाओं के लिए केवल जीवन निर्वाह का साधन न होकर समानता, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की ओर अग्रसर हो रहा है।

ग्रामीण महिलाओं में विवाह के परिवर्तित प्रतिमान यह स्पष्ट करते है कि अब विवाह के प्रति दृष्टिकोण में उल्लेखनीय बदलाव आ रहा है। महिलाएं अब शिक्षा, कैरियर और आत्मनिर्भरता को महत्व दे रही है जिससे विवाह की आयु बढ़ रही है और ये जीवनसाथी चयन में भी स्वतंत्रता चाहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में 21 वर्ष के बाद विवाह करने वाली लड़कियों का प्रतिशत बढ़ा जो साल 2020 में 56.2 प्रतिशत था, जो आज बढ़ कर 2025 में 58.5 प्रतिशत के करीब पहुँच रहा है। आज लड़किया पढ़ाई, कौशल विकास और आर्थिक स्वतंत्रता को प्रार्थमिकता दे रही है, जिससे विवाह की उम्र बढ़ रही है और कैरियर प्राथमिकता बन रहा है। आज पारंपरिक संयुक्त परिवार और संस्कारिक विवाह की पकड़ अब धीरे–धीरे शिथिल हो रही है और लड़किया आत्मसम्मान और स्वयं के विकास को महत्व दे रही है।

## निष्कर्ष

अतः स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में विवाह केवल सामाजिक और धार्मिक अनिवार्यता न होकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रेम और समानता का प्रतीक बन रहा है। जीवनसाथी चयन में व्यक्तिगत पसंद, स्वतंत्रता, समानता और प्रेम विवाह आदि की स्वीकार्यता बढ़ रही है, साथ ही अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह का चलन बढ़ रहा है। प्रौद्योगिकी और शहरीकरण की वजह से वैवाहिक वेबसाइट्स, सोशल मीडिया आदि का प्रभाव पड़ रहा है, जिससे जीवनसाथी चयन में परिवार की भूमिका सीमित होती जा रही है। इसी तरह तलाक और पुनर्विवाह की दरों में भी बढ़ोत्तरी हुई है। समाज में महिला अधिकार, शिक्षा और स्वरोजगार को लेकर बढ़ी जागरूकता ने भी ग्रामीण महिलाओं के विवाह प्रतिमानों को परिवर्तित किया है। ग्रामीण महिलाओं में विवाह के बदलते प्रतिमान दर्शाते है कि शिक्षा, आत्मनिर्भरता, कानूनी अधिकार, प्रेम विवाह, विलम्ब विवाह और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व दिया जा रहा है। यह बदलाव सामाजिक–सांस्कृतिक रूपांतरण, तकनीकी विकास और सरकारी प्रयासों के कारण तेज हुआ है, जिससे परंपरागत विवाह संस्कार अब नए संदर्भों में ढल रहे है, और ग्रामीण महिलाओं में विवाह के प्रतिमान परिवर्तित प्रतीत हो रहे है।

## संदर्भ सूची

1. Ahlawat, Neerja (2015) Marriage norms, personal choices and social sanctions in Haryana, *Sociological Bulletin,* 64(1) 91–103, January–April 2015, Sage Publications, New Delhi.
2. Chauhan, Abha (2003) Kinship principles and the pattern of marriage alliance: the Meos of Mewat, *Sociological Bulletin,* 52(1), 71–90, March 2003.
3. Chowdhry, Prem (2007) *Contentious Marriages, Eloping Couples: Gender, Caste, and Patriarchy in Northern India*, Oxford University Press, Delhi, 15 July 2007.
4. Ghosh, Biswajit (2011) *Early marriage of Girls in contemporary Bengal: A field view*, Social Change, 41(1) 41-61, March 2011, Sage Publications, New Delhi.
5. Kapadia, K. M. (1982) *Marriage and family in India*, Oxford University Press, Culcutta.
6. Kaur, Gaganpreet and Sukhdev Singh (2013) *Changing patterns of marriage in Indian society*, *Indian Journal of Economics and Development,* 9(3) 261, January 2013, Research Gate Publication, www.Research gate net, Accessed on 10/12/2025.
7. Mendalbaum, D. G. (1995) *Society in India,* Popular Prakashan. Bombay.
8. Saxena, R. N. (2000) *Indian Society and Social Institutions*, Popular Prakashan, Bombay.
9. Sengupta, N. (1967) *Evolution of Hindu Marriage*, Popular Prakashan, Bombey.
10. Singh, J. P. (2004) *The Contemporary Indian Family,* in Bert N. Adams and Jan Trost (eds) Handbook of World Families, Sage Publication, California inc. p. 129-166.
11. Westermarck, E. (1894) *The History of Human Marriage,* macmillan and CO. Newyork.

********